

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 59/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

1 मनोहरी पुत्र जौरावल जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12.6.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 35,36,37/864 ग्राम करमपुरा तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 7/1 सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप में दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 यह भूमि अप्रार्थी मनोहरी पुत्र जोरावर जाति गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा तहसील टोडाभीम के नाम जरिये आवंटन से गैरखातेदारी में दर्ज होकर नामान्तकरण 98 से खातेदारी में दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 7/1 का नवीन खसरा नम्बर 35,36,37/864 कुल कित्ता 3 कुल रकवा 0.25 है० बनाकर हाल जमाबंदी में अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी०बी०सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 35,36,37/864 रकवा 0.25 है० वाके ग्राम करमपुरा को वापस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इनका प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2031 से 2034, 2071 से 2074, मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

3/CC

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2031 से 2034 की खाता सख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 7/1 रकवा 1वीघा भूमि गैरमुमकिन तलाई के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी में से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 में परिवर्तन होकर मनोहरी पुत्र जोरावर के नाम आराजी खसरा नम्बर 35,36,37/864 रकवा 0.25 है० नामान्तकरण सख्या 98 से खातेदारी स्वीकृत हुयी थी इसके बाद हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी०बी०सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 35 रकवा 0.07,36 रकवा 0.08,37/864 रकवा 0.10 है०कुल रकवा 0.25 है० ग्राम कमरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को वापस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2071 से 2074 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।


अति० जिला कलेक्टर
करौली